

प्रेस नोट दिनांक 20.07.2021

थाना सुभाषनगर जनपद बरेली

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर बरेली महोदय के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुभाषनगर श्री नरेश कुमार त्यागी द्वारा मय महाराही फोर्स के दिनांक 20/7/2021 समय 16.30 बजे शमशान भूमि के पास सिठौरा रोड से अभि० गण 1.आसिफ पुत्र नौशे मेवाती निवासी घंघोरा-घघोरी थाना भोजीपुरा बरेली 2. नासिर उर्फ राजू पुत्र कौसर अली घुना निवासी घंघोरा-घघोरी थाना भोजीपुरा बरेली 3. मुजफ्फर पुत्र अख्तर मेवाती निवासी अम्बरपुर, भोजीपुरा बरेली को गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछताछ पर कबाडी 1. इरफान पुत्र तसलीम मेवाती निवासी अम्बरपुर, भोजीपुरा बरेली को भी गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने पूछताछ पर मु०अ०स० 283/21 धारा 328 ,379 भादवि की घटना का इकबाल किया जिसमे दिनांक 29/6/2021 को अभियुक्त गण उपरोक्त द्वारा रिक्शा चालक श्री सूरज को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसका ई रिक्शा ले गये थे। उक्त के सम्बन्ध में थाना सुभाषनगर पर मु०अ०स० 319/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०स० 320/2021 धारा 8/21 NDPS एक्ट बनाम आसिफ पुत्र नौशे मेवाती निवासी घंघोरा-घघोरी थाना भोजीपुरा जिला बरेली तथा मु०अ०स० 321/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०स० 322/2021 धारा 8/21 NDPS एक्ट बनाम नासिर उर्फ राजू पुत्र कौसर अली घुना निवासी घंघोरा-घघोरी थाना भोजीपुरा जिला बरेली तथा मु०अ०स० 323/2021 धारा 8/21 NDPS एक्ट बनाम मुजफ्फर पुत्र अख्तर मेवाती निवासी अम्बरपुर थाना भोजीपुरा जिला बरेली पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

- 1.आसिफ पुत्र नौशे मेवाती निवासी घंघोरा - घघोरी थाना भोजीपुरा बरेली
2. नासिर उर्फ राजू पुत्र कौसर अली घुना निवासी घंघोरा-घघोरी थाना भोजीपुरा बरेली
3. मुजफ्फर पुत्र अख्तर मेवाती निवासी अम्बरपुर थाना भोजीपुरा बरेली
4. इरफान पुत्र तसलीम मेवाती निवासी अभयपुर थाना भोजीपुरा बरेली

फरार अभियुक्त-

- 1.केसर अली पुत्र बाहिद अली निवासी घंघोरा-घघोरी थाना भोजीपुरा बरेली

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-

- 1.अभियुक्त आसिफ से एक तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस 315 बोर ,नशीला पाउडर करीब 06 ग्राम
- 2.अभियुक्त नासिर से एक चाकू ,नशीला पदार्थ करीब 05 ग्राम
3. अभियुक्त मुजफ्फर से पांच पत्ते प्रतिबन्धित नशीली गोली के
4. अभियुक्त इरफान से तीन बैटरे व 01 ई-रिक्शा

मॉडस ऑपरेंडी-

अभि०गण ने विस्तृत पूछताछ पर बताया कि योजना अनुसार आसिफ, नासिर उर्फ राजू, मुजफ्फर, केसर अली ई- रिक्शा बुक करते थे,उसमे बैठ जाते थे तथा फिर मौका मिलते ही कोल्ड ड्रिंक/जूस में नीद की गोलियां मिलाकर चालक को पिला देते थे। उसके नशे में हो जाने पर उसे सुनसान जगह पर कहीं छोड़कर रिक्शा ले जाते थे। रिक्शा व उसकी बैटरी को कबाडी इरफान को बेच देते थे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि प्रदीप कुमार
- 2.उ०नि० गजेन्द्र सिंह
- 3.का० 945 राजू
- 4.हे०का० 879 चेतन
5. हे०का० 866 सुधीर
6. का० 2049 आशीष